अज अदालत :–अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

ाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेंट्स
ी सुखीदेवी धर्मपत्नी श्री शंकरलाल ते मेघवाल निवासी बीजापुर तह.बाली ा पाली राज.		1. स्व. दीपभाई पुत्र सामल भाई जाति पटेल साकिन देलवाडा तह.वडाली जिला साबरकाठा गुजरात के का.मु. 1.1 प्रवीण भाई पुत्र सामड़भाई जाति पटेल साकिन देलवाडा तह.वडाली जिला साबरकाठा गुजरात 2.महेन्द्र नरेश भाई माली पुत्र नरेश कुमार जाति माली निवासी आवकार सोसायटी खेडब्रह्मा तह खेड़ब्रह्मा जिला साबरकाठा गुजरात 3.श्रीमान तहसीलदार बाली जिला पाली

किस्म मुकदमा : राजस्व अपील प्रकरण संख्या : 10/2024

(जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2024/78)

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुये
29.02.2024	पत्रावली पेश हुई। राजस्व (ग्रुप–2) विभाग जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 7(15)राज/2022 दिनांक 25.05.2022 की अनुपालना में श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय पाली के पत्रांक/ कोर्ट/एडीएम/2023/24 दिनांक 10.01.2024 के द्वारा स्थानांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान/वकुलाय को सूचित होकर पत्रावली दिनांक 29.04.2024 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली	
29/04/2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट उपस्थित। अपीलांट श्रीमति सुखीदेवी धर्मपत्नि श्रीशंकर लाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हमारे व रेस्पोडेन्ट्स की आपसी रजामंदी होने से प्रकरण को आगे चलाना नही चाहती हूं। अतः प्रकरण को विड्रोल किया जावें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण मे आपसी रजामंदी होने से प्रकरण को आगे चलाना नही चाहने एवं विड्रोल किये जाने पर पत्रावली मे आगामी कार्यवाही समाप्त कर पत्रावली निरस्त की जाती है। पत्रावली केसलत अमार होकर नम्बर से कम हो।	सुखीदेवी अति. जिला कलक्टर बाली (पाली)